

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 86] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 1980/चैत्र 12, 1902
No. 86] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 1980/CHAITRA 12, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1980

सा. का. नि. 185(अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श
करके, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 के साथ पठित धारा
58-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी (निक्षेप प्रतिग्रहण) नियम,
1975 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (क) इन नियमों का नाम कम्पनी (निक्षेप प्रतिग्रहण) द्वितीय संशोधन
नियम, 1980 है।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी (निक्षेप प्रतिग्रहण) नियम, 1975 में, नियम 8 के परन्तुक के अन्त में निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“या (ग) निक्षेपकर्ताओं की सम्पत्ति से, भारत सरकार द्वारा ‘अधिकार’, ‘डिबेंचरों के सम्बन्ध में, समय-समय पर जारी किए गए मार्ग-दर्शन के अनुसार निक्षेपों का, प्रतिभूत डिबेंचरों में संपरिवर्तन के लिए किया जाए।”

[फा. सं. 3/13/79-सी. एल.-10]

एस. एम. डूगर, सदस्य, कम्पनी विधि बोर्ड

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 1980

G.S.R. 185(E).—In exercise of the powers conferred by Section 58A, read with Section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, namely :—

1. (a) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Second Amendment Rules, 1980.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, in the proviso to rule 8, the following words shall be inserted at the end, namely :—

“or (c) for conversion, with the consent of the depositors, of deposits into secured debentures in recordance with the guidelines issued by the Government of India from time to time regarding the issue of ‘rights’ debentures.”

[File No. 3/13/79-CLX]

S.M. DUGAR, Member, Company Law Board